

- २३ -

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

का०आ०सं०-पी०पी०एम०-४८/२०१४(खण्ड)- ३२३४/कृ०, पटना, दिनांक ३०/४/२०१८

कार्यालय आदेश

श्री शंभु प्रसाद सिंह, उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए पी०पी०एम० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Prm dr
13.8.2018
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ३२३४ /कृ०, पटना, दिनांक ३०/४/ २०१८

प्रतिलिपि:- माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल, पटना/ प्रशासक, बिहार राज्य विपणन पर्षद (वि०), पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/निदेशक, बिहार राज्य बीज एवं ऑर्गेनिक प्रमाणिकरण एजेन्सी, पटना/योजनाओं के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/श्री शंभु प्रसाद सिंह, उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. उप निदेशक (शष्य) सूचना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Prm dr
13.8.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।